तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./2287/2001/टोंक सरकार बनाम गोपाल	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित –

श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड, उपराजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 20.11.2025

यह रेफरेन्स अतिरिक्त कलेक्टर, टोंक द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या– 114/1997 बउनवानी सरकार बनाम गोपाल में पारित अपने निर्णय दिनांक 23–02–2001 से मंडल हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, टोंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कस्वा जिला टोंक के साबिक खसरा नंबर 6443 जिसके हाल खसरा नम्बर 6946 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा है। उक्त भूमि भू–प्रबंध खतौनी सन् 1942 के अनुसार माफी मंदिर अस्थल माधोजी के खातेदारी की भूमि थी। परन्तु जमाबंदी संवत् 2028–2047 में माफी मंदिर अस्थल माधोजी के नाम हजफ् कर भूमि जरिए नामांतकरण संख्या– 503 से कजोड पुत्र कल्याण अहीर का नाम दर्ज कर दिया गया तथा नामांतकरण संख्या– 519 से लगवालिया व गोपाल पुत्र कजोड को जरिये विरासत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। उक्त भूमि का बेचान करने से नामांतकरण संख्या– 602 के द्वारा नन्ना पुत्र नसरूद्दीन तेली के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गयी। जो विधि विरूद्ध होने से आराजी जैर पुनः माफी मंदिर अस्थल माधो जी के नाम दर्ज की जावे। उक्त प्रार्थनापत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गये व बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23–02–2001 द्वारा अनुशंषा करते हुए यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया गया है।

विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में माफी मंदिर की होना प्रकट होता है किन्तु नामांतकरण संख्या– 503 के द्वारा कजोड पुत्र कल्याण अहीर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./2287/2001/टोंक सरकार बनाम गोपाल	नम्बर व तारीख

के अनुसार उपकृषक से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए जबकि माफी मन्दिर की भूमि पर उपकृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, तथा नाबालिग शाश्वत मंदिर की भूमि अन्य को किसी भी रूप में स्थानातंरित नहीं की जा सकती है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर समस्त आराजी माफी मंदिर अस्थल माधोजी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने योग्य उपराजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख खतौनी बंदोबस्त संवत् 1999 के अनुसार आराजी जैर साबिक खसरा नंबर 6443 माफी मन्दिर अस्थल माधोजी के नाम खातेदारी थी जिस पर उपकृषक शिकमी काश्तकार कल्याण पुत्र हरदेवा का नाम दर्ज रिकार्ड रहा है। परन्तु तहसीलदार, टोंक द्वारा दिनांक 02–04–1960 को जरिए नामांतकरण संख्या– 503 कजोड पुत्र कल्याण अहीर को खातेदारी अधिकार दिए है और नामांतकरण के निर्णय में अंकित किया कि – ‘‘आज यह दाखिल खारिज टीनेंसी एक्ट की धारा 19 से संशोधित के अंतर्गत आदेश कमिश्नरी दिनांक 03–02–1960 नंबर 648 व 655 हकूक खातेदार उपकृषक पेश हुआ। अतः आज्ञा है कि दाखिल खारिज खातेदार माफी अस्थल माधोजी बहतमाम गंगादास बनाम कजोड पुत्र कल्याण कौम अहीर साकिन देह 7 बीघा 7 बिस्वा लगान 13 रूपये पांच आने स्वीकार है। अमलदरामद किया जावे।’’ उक्त आदेश से वादग्रस्त भूमि कजोड पुत्र कल्याण अहीर के नाम खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए जबकि अभिलेख से विवादग्रस्त आराजी माफी मंदिर अस्थल माधोजी की खातेदारी की भूमि होना स्पष्ट होता है, ऐसी आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 के अंतर्गत निजी व्यक्तियों अथवा उपकृषक के खातेदारी में अभिलिखत नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 में प्रावधान निहित किये गये है, जिसके अनुसार शाश्वत नाबालिग मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विधिक प्रावधानों के अनुसरण में हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री अस्थल माधोजी की खातेदारी में दर्ज किया जाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./2287/2001/टोंक सरकार बनाम गोपाल	नम्बर व तारीख
	विधिसम्मत् प्रतीत होता है । परिणामतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रसत भूमि वाके ग्राम कस्वा जिला टोंक के साबिक खसरा नंबर 6443 जिसके हाल खसरा नम्बर 6946 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई, उक्त आराजीयात् अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाकर पुनः माफी मंदिर श्री अस्थल माधोजी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है और उपरोक्त भूमि से संबंधित भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित खतौनी बंदोबस्त (जमाबन्दी) में सन् 1942 की जमाबन्दी के पश्चात्वर्ती समस्त प्रवष्टियों को विलोपित किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	